

अधिसूचना

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर

दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-भटंडी, परगना-जखलपुर, थाना-रोसड़ा, थाना नं0-101, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघट कराचीन के 42वें कि0 मी0 से 75वें कि0 मी0 तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम भटंडी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 8.87 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 135, 136, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 547, 546, 545, 543, 544, 523, 522, 521, 520, 519, 516, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 496, 495, 490, 492, 488, 486, 485, 469, 467, 463, 190, 191, 193, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 182, 184, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 187, 370, 371, 372, 378, 374, 375, 377, 376, 386, 397, 403, 404, 405, 420 एवं पूर्ण खेसरा सं0 185, 186, 287, 373 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा सं0 135, 136, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 547, 546, 545, 543, 544, 523, 522, 521, 520, 519, 516, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 496, 495, 490, 492, 488, 486, 485, 469, 467, 463, 190, 191, 193, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 182, 184, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 187, 370, 371, 372, 378, 374, 375, 377, 376, 386, 397, 403, 404, 405, 420 है।

पूरब :- सीमा रेखा ग्राम माहेखैरा।

दक्षिण :- तटबंध ग्राम भटंडी।

पश्चिम :- सीमा रेखा ग्राम भोरहा बहेड़ा।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1964 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियन्त्रण प्रमंडल हथौड़ी, समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ0 के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल की राय से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता
समस्तीपुर।

समाहर्ता
समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक...../ डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना,

दिनांक

- प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतारन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

6/5/13
सरकार के अवर सचिव